



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1081]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 4, 2016/वैशाख 14, 1938

No. 1081]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 4, 2016/ VAISAKHA 14, 1938

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 मई, 2016

का.आ. 1640(अ)—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. सं. 2921(अ), तारीख 17.12.2012, जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है: अर्थात्:—

टिप्पणियों के पश्चात् पैरा 1 (क) और पैरा 2 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

- नीचे उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित टोल प्लाजाओं पर, ऐसे टोल प्लाजा (प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

(क) वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख (सीओडी) से रारा-8 के अहमदाबाद-बडोदरा सेक्शन के लिए

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
कि.मी./चैनेज 44.005 (खेड़ा जिले में रधवानज गांव के पास)	50.815
कि.मी./चैनेज 92.000 (आनंद जिले में वासद गांव के पास)	50.486

- उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित पुल (पुलों)/संरचनाओं के उपयोग के लिए, जिनकी लागत नीचे विनिर्दिष्ट की गई है, का शुल्क भी, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर शोध्य और संदेय होगा:

टोल प्लाजा (प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	पुल/संरचना की लम्बाई (कि.मी. में) और लागत (करोड़ रुपए में) जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है	
	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत (करोड़ों में)
कि.मी./चैनेज 44.005 (खेड़ा जिले में रधवानज गांव के पास)	0.335	56.61
कि.मी./चैनेज 92.000 (आनंद जिले में वासद गांव के पास)	0.556	94.53
कि.मी./चैनेज 92.000 (आनंद जिले में वासद गांव के पास)	0.108	55.48

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/616/सीओ/11-12/जीसी अहमदाबाद-बडोदरा]

लीना नन्दन, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र का.आ. 2921 (अ), तारीख 17 दिसम्बर, 2012, द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th May, 2016

S.O. 1640(E).—In exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby makes following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways bearing S.O. No. 2921(E), dated 17.12.2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), namely:—

Para 1 (a) and Para 2 after Notes shall be substituted as under:

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Toll Plazas for the distance specified for such Toll Plaza(s):

(a) For Ahmedabad-Vadodara section of NH 8 from COD

Location of Toll Plaza(s)(chainage)	Length (in km) for which Fee is payable
Km/Ch. 44.005 (Near Radhvanaj village in Kheda District)	50.815
Km/Ch. 92.000 (Near Vasad village in Anand District)	50.486

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bridge(s)/structure(s), cost of which is specified hereunder, at the following Toll Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s)(chainage)	Length (in km) and Cost of bridge/structure (in Rupees crore) for which additional fee is payable	
	Length (in kms)	Cost (in Crores)
Km/Ch. 44.005 (Near Radhvanaj village in Kheda District)	0.335	56.61
Km/Ch. 92.000 (Near Vasad village in Anand District)	0.556	94.53
Km/Ch. 92.000 (Near Vasad village in Anand District)	0.108	55.48

[F. No. NHAI/13013/616/CO/11-12/GC Ahmedabad-Vadodara]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India vide S.O. 2921(E) dated 17th December.2012.